

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/प-2/1/5/रातस/ना.तह/2013-19/11163

दिनांक : 14/11/19

—: आदेश :-

राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 के नियम 28 के उपनियम 5 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार पद की वर्ष 2019-20 की नियमित पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 4.11.19 को किया गया था। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुसार निम्नानुसार भू-अभिलेख निरीक्षकों के विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जॉच/एसीबी प्रकरण अंकन के फलस्वरूप वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध सीलड कवर में रखे जाने की सिफारिश की गई :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	विचाराधीन प्रकरण/जॉच	भू.अ.नि.पदस्थापन
1.	सत्यनारायण/अर्जुनलाल	17/9.6.18	जिला नागौर
2.	श्रीनिवास मीणा/राधाकृष्ण	79/17.208/18 एवं 63/19	जिला टोंक
3.	बेनीप्रसाद सरगारा/शंकरलाल	16/8.3.18	जिला भीलवाडा
4.	मोहनलाल/मांगीलाल	16/9.11.16	जिला झालावाड
5.	अब्दुल रफीक/अब्दुल वाहीद	389/2015 एवं 200/2015	जिला बांरा
6.	अर्जुनलाल शर्मा/ बद्रीनारायण	16/30.4.18	जिला जयपुर

कार्मिक (क-2/नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प-2(1) कार्मिक /क-2 /अंप्र./91 दिनांक 4.6.2008 के बिन्दु संख्या 12 (11) के तहत बन्द लिफाफा प्रक्रिया अपनाई गई हो लेकिन बाद में यह ज्ञात हो कि सम्बन्धित राजसेवक के विरुद्ध रिक्ति (जिसके विरुद्ध उसकी पदोन्नति की सिफारिश की गई है) के दिन कोई अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण लम्बित नहीं होने और त्रुटिवश बन्द लिफाफा होने के फलस्वरूप, उपरोक्त भू-अभिलेख निरीक्षकों का सीलड कवर लिफाफा खोला जाकर, इन्हें वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध नायब तहसीलदार पद पर मौलिक आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

उक्त कार्मिकों की वरिष्ठता का निर्धारण पृथक से किया जा रहा है।

आदेशानुसार,

(विनीता श्रीवास्तव)
निबन्धक

राजस्व मण्डल राज., अजमेर

दिनांक: 14/11/19

क्रमांक : सम/11164-83

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- निजी सचिव, मा.अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
- 2- जिला कलेक्टर _____।
- 3- प्रभारी अधिकारी, (वि.जांच/गोपनीय/भू-अभिलेख/कम्प्युटर), राजस्व मण्डल, अजमेर।
- 4- श्री _____।
- 5- पत्रावली संख्या _____ में संधारणार्थ।
- 6- निजी पत्रावली/ आदेश पंजिका।

अति-निबन्धक (रातस)
राजस्व मण्डल, राज., अजमेर